संख्या-9/6/1/72/का-2/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 25 अगस्त, 2014

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में सैन्य वियोजित अधिकारियों को विशिष्ट ज्येष्ठता लाभ दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी-2) सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली-1973 सपठित उ0प्र0 अप्राविधिक (श्रेणी-2/समूह-'ख') सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) नियमावली-1980 में संघ की सशस्त्र सेना के ऐसे निर्योग्य रक्षा सेवा अधिकारी, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उ0प्र0 राज्य की अप्राविधिक श्रेणी-2 की सेवाओं (जिसमें अभियंत्रणसेवा शामिल नहीं है) के अधिकारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन विशिष्ट ज्येष्ठता लाभ प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- उक्त नियमावलियों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के समूह-'ख' के अप्राविधिक श्रेणी के ऐसे सैन्य वियोजित अधिकारियों को विशिष्ट ज्येष्ठता लाभ मुख्यत: तभी अनुमन्य हैं, जबकि उनकी नियुक्ति उपरिसंदर्भित नियमावली-1973 में प्राविधानित 10% आरक्षण कोटे के तहत आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष हुई हों तथा उनकी चयन प्रक्रिया दिनॉक 06-08-1978 के पूर्व समाप्त या प्रारंभ हुई हो।

3- उक्त संदर्भ में सिविल अपील संख्या-4949/2011 राजेन्द्र प्रताप सिंह यादव व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य एवं सहबद्ध याचिकाओं को निस्तारित करते हुए मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनॉक 05-07-2011 को स्वत: स्पष्ट निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं। उक्त निर्णय/आदेश मा0उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैन्य वियोजित अधिकारियों को राज्याधीन सेवाओं में विशिष्ट ज्येष्ठता लाभ प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनॉक 05-07-2011 में की गयी संवीक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/6/1/72/का-2/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in